



## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
शिक्षासदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)  
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./सं.स.एवं प्र.(शै.एवं प्र.)/2015

परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-72/2015

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध  
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

**विषय: सरदार वल्लभाई पटेल की जन्म जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप 31 अक्टूबर, 2015 को मनाया जाना।**

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में 31 अक्टूबर, 2015 को मनाई जा रही है। यह अवसर हमें देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के वास्तविक और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए अन्तर्निहित शक्ति और समुत्थान सुनिश्चित करने का मौका प्रदान करता है। सरदार पटेल की जन्म जयंती के स्मरण हेतु के.मा.शि.बो. ने सरदार पटेल पर पहले ही अभिव्यक्ति की शृंखला की घोषणा की है, जो 31 अक्टूबर, 2015 को आयोजित होगी। विस्तृत परिपत्र वेबसाइट [www.cbseacademic.in](http://www.cbseacademic.in) पर उपलब्ध है।

'राष्ट्रीय एकता दिवस' सही प्रकार से मनाया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया जाता है कि, विद्यालय निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं:

1. 30 अक्टूबर, 2015 को विद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए (संलग्नक-I के रूप में शपथ संलग्न)
2. 31 अक्टूबर, 2015 राज्य/जिला मुख्यालय में 'एकता के लिए दौड़' में विद्यालय उत्साह पूर्वक भाग ले सकते हैं। बच्चों की उपयुक्तता और स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान रखें।
3. विद्यालय (i) एकता और अखण्डता (ii) सुरक्षा और बचाव विषय पर विविध गतिविधियों यथा पोस्टर निर्माण, चित्रकला, वक्तव्यकला, पहली पूछना इत्यादि जैसी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं।

'राष्ट्रीय एकता दिवस' के आयोजन के दौरान आयोजित किसी गतिविधि का विवरण अधिकतम 14 नवम्बर, 2015 तक [cbseacademic2015@gmail.com](mailto:cbseacademic2015@gmail.com) पर प्रेषित की जा सकती है।

सादर

डी.टी. सुदर्शन राव

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)